land in favour of the refugees for their settlement;

(c) if so, how much land has been surrendered by the tea garden owners during the last five years and how much of this land has been given to the refugees; and

(d) the amount paid to the tea garden owners each year during the last five years?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN): (a) No, Sir.

(b) In the year 1959, a sum of Rs. 3.24 lakhs was sanctioned to cover the cost of acquisition and compensation on requisition of some tea garden lands for the rehabilitation of displaced families in Assam. The State Government has reported that, out of the above-sanctioned amount, a sum of about Rs. 2.54 lakhs had been paid for requisition and acquisition of tea garden lands up to the year 1967.

(c) The State Government has reported that about 13429 bighas of land has so far been acquired on which 2512 refugee families have been settled.

(d)

| | | Rs. |
|---|---|---|
| 1959-60 | — | 13661 |
| 1960-61 | — | 80869 |
| 1961-62 | — | 14862 |
| 1964-65 | — | 144587 |
| | | Rs. 253979 |

**विभिन्न राज्यों में ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र**

*762. **श्री झारखंड राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कुल कितना ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है और उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कितना क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है ; और

(ग) इस ऊबड़ खाबड़ भूमि को कृषि योग्य बनाने तथा बन लगाने और इसको अन्यथा उपयोगी बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):** (क) 'ऊबड खाबड़ क्षेत्र' से तात्पर्य कन्दरा युक्त भूमिओं से है। ऐसे क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मद्रास और पश्चिम बंगाल में होते हैं और उनमें कुल आवरित क्षेत्र का अन्दाजा 48.30 लाख एकड़ भूमि का है।

(ख) तीन राज्यों में कन्दरायुक्त भूमिओं की सीमा नीचे दी गई है :—

| राज्य | कुल कन्दरायुक्त क्षेत्र (लाख एकड़ों में) |
|---|---|
| 1. उत्तर प्रदेश | 3.040 |
| 2. मध्य प्रदेश | 6.000 |
| 3. राजस्थान | 8.000 |

(ग) व्यावहारिक असुविधाओं की दृष्टि में कन्दरायुक्त भूमिओं का सुधार एक चयनीय आधार पर किया गया है जिससे कि (i) समोच्च बांध के साथ कृषिकृत-पटल भूमि का व्यवहार, (ii) खेती के लिये परिधिस्थ भूमि और उथली कन्दरा-युक्त भूमिओं का सुधार और (iii) गहनतर कन्दरायुक्त भूमिओं के घास क्षेत्रों एवं वनारोपण का विकास सुनिश्चित हो सके।

कृषि एवं वनारोपण के लिये सुधार के योग्य कन्दरायुक्त भूमिओं के चुनाव के हेतु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में 1967–68 के अन्त तक 9.43 लाख एकड़ के क्षेत्र पर भूमि सर्वेक्षण कर दिये गये हैं। गुजरात में कन्दरायुक्त भूमि के 9.32 लाख एकड़ क्षेत्र पर हवाई फोटोग्राफी भी हो गई है। उसी अवधि के दौरान, खेती के लिये 31,000 एकड़ से अधिक भूमि का कन्दरा सुधार कर दिया है। 1.40 लाख एकड़ क्षेत्र के ऊपर कन्दरा भूमि का वनारोपण भी पूर्ण कर दिया है।

विभिन्न राज्यों में कन्दरा सर्वेक्षण और सुधार गतिविधियों को समन्वित करने के लिये केन्द्रीय रैविन रिक्लेमेशन बोर्ड निर्मित किया गया है और उपरोक्त चार राज्यों में प्रचुर मात्रीय कन्दरा सुधार की तकनीकी एवं आर्थिक सम्भाव्यता को स्थापित करने के लिये प्रत्येक राज्य में 10,000 एकड़ वाली मार्गदर्शी प्रयोजना का निर्माण हो रहा है।

**कर्मचारी भविष्य निधि**

*763. **श्री हुकम चन्द कछवाय :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स डायर्स स्टोन लाइम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता, मैसर्स लाइम एंड रिफ्रैक्टर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई तथा मैसर्स इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कटनी ने गत कई वर्षों से अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मजूरी बोर्ड पंचाट के अनुसार वे अपने कर्मचारियों को सुविधायें प्रदान नहीं कर रहे हैं ;

(ग) इन फर्मों में स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये फर्में लोगों को बहुत समय तक काम पर नहीं रखती हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितने व्यक्तियों को नौकरी से हटाया गया तथा कितने व्यक्तियों ने त्यागपत्र दिया ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):** (क) से (ङ): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

**कालकाजी कालोनी (दिल्ली) में विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन**

*764. **श्री जगन्नाथराव जोशी :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों ने सरकार को यह प्रार्थना की थी कि कालकाजी कालोनी, दिल्ली में उन्हें दी गयी भूमि के किराये तथा मूल्य को कम कर दिया जाये;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वा० रा० चव्हाण):** (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।